भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1723
दिनांक 10 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

उत्तर प्रदेश के लिए ऋण/राजसहायता योजना

1723. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषादः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए भैंस/दुधारू पशुओं की खरीद हेतु कोई ऋण या राजसहायता-आधारित योजना कार्यान्वित की जा रही हैं, और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत पिछले पाँच वर्षों के दौरान ऋण/राजसहायता प्राप्त करने वाले पशुपालकों की संख्या वर्षवार कितनी है;

(ग) उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर जिलों में पिछले पाँच वर्षों के दौरान लाभान्वित पशुपालकों की संख्या वर्षवार कितनी है;

(घ) राज्य में उक्त अवधि के दौरान अस्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या कितनी है और अस्वीकृति के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ङ) क्या ऋण स्वीकृति या अस्वीकृति संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए सरकार का कोई शिकायत निवारण तंत्र विद्यमान है, यदि हाँ, तो निवारण की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का लाभार्थियों और अस्वीकृतियों के आँकड़ों को सार्वजनिक करने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ग) ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए प्रयासों को संपूरित करने के लिए, भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग निम्नलिखित ऋण या सब्सिडी आधारित योजनाओं/घटकों को क्रियान्वित कर रहा है:

(i) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) का उद्देश्य निम्नलिखित सुविधाओं की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहित करना है: (i) डेयरी प्रसंस्करण एवं उत्पाद विविधीकरण अवसंरचना, (ii) मांस प्रसंस्करण एवं उत्पाद विविधीकरण अवसंरचना, और (iii) पशु आहार संयंत्र, (iv) नस्ल सुधार तकनीक और नस्ल वृद्धि फार्म, (v) पशु चिकित्सा टीका एवं औषधि उत्पादन सुविधाएं, (vi) पशु अपशिष्ट से संपत्ति प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन)। AHIDF की सफलता को देखते हुए, पूर्ववर्ती डेयरी अवसंरचना विकास निधि को दिनांक 01.02.2024 को AHIDF में शामिल कर दिया गया है। अब निधि का कुल आकार 29110 करोड़ रुपये है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन के लिए संस्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ii) राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EDP) एक प्रमुख घटक है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण पोल्ट्री प्रजनन फार्मों के साथ-साथ भेड़, बकरी, सूअर, ऊंट, घोड़े और गधे के प्रजनन फार्मों की स्थापना के लिए विभिन्न घटकों पर 3 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक की अधिकतम सीमा के साथ 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, यह घटक चारा मूल्यवर्धन इकाइयों, को भी सहायता प्रदान करता है। इनमें घास (Hay), साइलेज, संपूर्ण मिश्रित राशन (TMR), चारा ब्लॉक और चारा बीजों के प्रसंस्करण, वर्गीकरण और भंडारण की इकाइयाँ शामिल हैं। यह सब्सिडी व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), स्वयं सहायता समूहों (SHG), संयुक्त देयता समूहों (JLG), किसान सहकारी संगठनों (FCO) और धारा 8 कंपनियों के लिए उपलब्ध है। पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में NLM-EDP योजना के अंतर्गत कुल 158 पशुपालकों को लाभ मिला है। जिला-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(iii) नस्ल वृद्धि फार्म (BMF) की स्थापना संबंधी घटक के अंतर्गत, विभाग ने देश भर में 125 नस्ल वृद्धि फार्मों की स्थापना के लक्ष्य के मुकाबले 132 नस्ल वृद्धि फार्मों को स्वीकृति दी है, जिनमें उत्तर प्रदेश के अमरोहा, लखनऊ,गौतम बुद्ध नगर, जालौन, सहारनपुर, बरेली में स्वीकृत 7 BMF शामिल हैं। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत इस घटक को बंद कर दिया गया है।

(घ) से (च) पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने और लाभार्थियों/आवेदकों की सुविधा के लिए, परियोजनाओं हेतु आवेदन से लेकर अनुमोदन तक की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है और इस उद्देश्य के लिए बनाए गए पोर्टलों पर उपलब्ध है। हालांकि, सावधि ऋण (Term loan) अस्वीकृत या संस्वीकृत करना पूर्णतः ऋणदाता (lending bank) बैंक का विशेषाधिकार है, जो उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत और वित्तीय साख पर आधारित होता है।

अनुबंध-I

उत्तर प्रदेश में AHIDF के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का जिला-वार विवरण

क्र.सं.	जिले के नाम	अनुमोदित परियोजनाएँ	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	सावधि ऋण (करोड़ रु. में)	जारी की गई ब्याज सबवेंशन (करोड़ रु. में)
1	अमेठी	5	225.58	145.42	10.53
2	बागपत	2	689.59	608.00	0.39
3	बरेली	2	22.33	8.60	0.33
4	बुलन्दशहर	3	30.55	21.18	1.55
5	एटा	1	29.00	22.00	0.58
6	गौतम बुद्ध नगर	2	33.28	15.50	0.20
7	गाजीपुर	1	8.15	2.90	0.23
8	गोंडा	1	4.15	3.12	0.15
9	गोरखपुर	2	20.85	11.87	1.22
10	हापुड	2	42.83	30.00	1.53
11	हरदोई	1	6.50	4.80	0.32
12	हाथरस	4	243.67	183.00	6.60
13	झांसी	1	4.61	1.75	0.07
14	कानपुर नगर	1	69.91	50.00	3.97
15	लखनऊ	2	37.50	26.82	1.77
16	मैनपुरी	1	39.82	24.38	1.06
17	मथुरा	2	85.08	40.00	2.01
18	प्रयागराज	1	3.04	1.70	0.02
19	शाहजहांपुर	1	8.07	4.00	0.20
20	उन्नाव	1	24.74	7.50	0.09
कुल योग		36	1629.25	1212.54	32.81

अनुबंध-II

अंबेडकर नगर, गोरखपुर और संत कबीर नगर जिलों में NLM-EDP के तहत संस्वीकृत परियोजनाएं

क्र.सं.	जिला	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रु.में)	अनुमोदित सब्सिडी (करोड़ रु.में)	जारी की गई कुल सब्सिडी (करोड़ रु. में)
1	अंबेडकर नगर	3	2.27	0.80	0.65
2	गोरखपुर	14	6.96	2.90	1.23
3	संत कबीर नगर	-	-	-	-